आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस(कोविड–19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस सन्दर्भ में उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत कोरोना वायरस(कोविड–19) संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु समय-समय पर भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा विभिन्न निर्देश निर्गत किये गये हैं जिनका अनुपालन जनपद स्तर पर सुनिश्चित किया जा रहा है। विशेष रूप से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देश दिनांक 29.06.2020 तत्पश्चात् मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–1730/2020/सीएक्स–3 दिनांक 09.07.2020 एवं शासनादेश संख्या–1755/2020 सीएक्स–3 दिनांक 14.07.2020 के क्रम में इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या–554/ओएसडी/2020 दिनांक 15.07.2020 द्वारा जनपद लखनऊ में कोरोना वायरस(कोविड–19) संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने हेतु विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी(नगर–टी0जी0) एवं अपर पुलिस उपायुक्त(नगर–उत्तरी) के पत्रांक वाचक/एडीसीपी(एन) कोविड–19/2020 दिनांक जुलाई 17, 2020 तथा अपर जिलाधिकारी(नगर–पूर्वी) एवं अपर पुलिस उपायुक्त(नगर–मध्य) द्वारा प्रेषित पत्रांक– 1128/एसटी (नगर–पूर्वी)/कोविड–19/2020 दिनांक 17.07.2020 द्वारा यह आख्या प्राप्त हुयी कि उक्त अधिकारियों के क्षेत्रान्तर्गत स्थित थाना क्षेत्र गाजीपुर, इन्दिरा नगर, आशियाना एवं सरोजनी नगर के पर्याप्त क्षेत्र में कोरोना वायरस(कोविड–19) संक्रमण प्रसारित है तथा अत्यधिक संख्या में कन्टेनमेन्ट जोन बनने के कारण प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। उक्त अधिकारियों द्वारा यह संस्तुति की गयी है कि उक्त थाना क्षेत्रों के सीमा निर्दिष्ट क्षेत्र में एक 'वृहद कन्टेनमेन्ट जोन' बनाया जाये जिससे कोरोना वायरस(कोविड–19) महामारी के प्रसार पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सके। प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों की संस्तुति पर मुख्य चिकीत्साधिकारी, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पत्रांक–मु0चि0अ0/2020/978 दिनांक 17 जुलाई, 2020 प्रेषित कर उक्त संस्तुति को औचित्यपूर्ण एवं कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम में प्रभावी स्वीकार कर वृहद कंटेनमेन्ट जोन हेतु संस्तुति का समर्थन किया गया है।

अतः उपरिनिर्दिष्ट भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के निर्देशों के क्रम में तथा महामारी अधिनियम 1897 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं दायित्व के अनुपालन में मैं अभिषेक प्रकाश, जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ संलग्न विवरण के अनुसार उपरोक्त थाना क्षेत्रों के सीमा निर्दिष्ट क्षेत्र को दिनॉक 20.07.2020 प्रातः 05:00 बजे से दिनॉक 24.07.2020 रात्रि 10:00 बजे तक की अवधि हेतु वृहद कन्टेनमेन्ट जोन के रूप में प्राख्यापित करता हूँ। वृहद कन्टेनमेन्ट जोन में निम्नानुसार गतिविधियॉ अनुमन्य एवं प्रतिषिद्ध होंगी:–

1. 'वृहद कन्टेनमेन्ट जोन' में स्थित हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं।
2. 'वृहद कन्टेनमेन्ट जोन' में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने, जिनमें IT तथा ITeS (IT Enabled Services) से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं, चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प–डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी।

Scanned with CamScanner

3. इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा–स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने–जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

4. रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।

5. अन्तर्राष्ट्रीय (International) एवं घरेलू (Domestic) हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डो से अपने गंतव्य स्थल तक जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

6. माल वाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं हाई–वे पर स्थित ढावे पूर्ववत खुले रहेंगे।

7. इस अवधि में स्थानीय प्रशासन एवं नगर निगम, लखनऊ द्वारा सफाई एवं स्वच्छता (sanitization) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

8. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड–19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर मे रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है। जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यो में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान–पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

9. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान–पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा।

10. इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस–वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण , सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

11. प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा–अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहो आदि पर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस व नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम (PA System) द्वारा कोविड–19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।

12. **'वृहद कन्टेनमेन्ट जोन'** में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यू0पी0–112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जएगा।

13. **'वृहद कन्टेनमेन्ट जोन'** में सब्जी एवं फलों की समस्त मण्डियाँ व दुकाने खुली रहेंगी।

14. मुख्य राष्ट्रीय राज्य मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्जनपदीय मार्ग चलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी मार्गों पर यातायात अत्यावश्यक अपरिहार्य स्थितियों के अतिरिक्त सामान्यतः विनियमित किया जायेगा।

15. **'वृहद कन्टेनमेन्ट जोन'** में आवश्यक वस्तु यथा–राशन की दुकानें, फल, सब्जी, दूध, ब्रेड की दुकानें, किराना, मेडिकल स्टोर, रसोई गैस, पेट्रोल पम्प, सी0एन0जी0 पम्प आदि खुले रहेंगे परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियॉ पूर्णतः बन्द रहेंगी। फल सब्जी के सचल ठेले अनुमन्य होंगे परंतु एक स्थान पर एक समय में एकाधिक ठेले खड़े नहीं होंगे।

16. हास्पिटल, पैथोलॉजी, क्लीनिक एवं अन्य मेडिकल/पैरामेडिकल सेवायें अनवरत चलती रहेंगी।

17. चिकित्सीय उपकरणों एवं अनाज, राशन इत्यादि क्रय करने के लिए अथवा अनुमन्य सेवाओं तथा साफ–सफाई एवं सेनेटाईजेशन के कार्य, म्यूनिस्पल सर्विसेज, विद्युत सेवायें, इन्फास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स,

Scanned with CamScanner

सरकारी निर्माण कार्य, उद्योग एवं कारखाने, बैंक, आई0टी0 सेवा के प्रदाता एवं उनके कार्मिक आवागमन विशिष्ट उद्देश्य हेतु कर सकेंगे।

18. राष्ट्रीय राज्य मार्ग अथवा राज्य मार्ग की तरफ खुलने वाले ऐसे बड़े प्रतिष्ठान एवं कार्यालय जिनका आवासीय क्षेत्र से किसी प्रकार का सम्पर्क न हो, खुल सकेंगे परन्तु स्थानीय स्थिति के अनुरूप सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस उपायुक्त संयुक्त रूप से इस सम्बन्ध में यदि कोई निर्णय लेते हैं, वह प्रभावी होगा।

19. **'वृहद कन्टेनमेन्ट जोन'** क्षेत्र में आवासित व्यक्तियों में **'वृहद कन्टेनमेन्ट जोन'** से बाहर स्थित कार्य स्थलों तक आवागमन हेतु केवल चिकित्सा सेवा, पैरा–मेडिक्स, अन्य आवश्यक सेवाओं के कार्मिकों प्रेस मीडिया, समाचार पत्र हॉकर्स को कार्य हेतु आवागमन की अनुमति होगी। सामान्य कार्यालय आवागमन विशिष्ट आवश्यकता पर ही किया जाए एवं यथासंभव वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) द्वारा कार्य किया जाए।

20. वर्तमान में उक्त क्षेत्र में संचालित कन्टेनमेन्ट जोन अथवा कोविड–19 पॉजीटिव पाये गये व्यक्तियों के निवास/कार्य स्थल के आस–पास लगाये गये प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे तथा वहॉ किसी भी प्रकार की गतिविधियॉ अनुमन्य नहीं होंगी।

उपरोक्त निर्देशों का स्थानीय स्तर पर अनुपालन न किया जाना महामारी अधिनियम–1897 का उल्लघंन माना जायेगा तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 51 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः यथोपरि।

19/7/2020

(अभिषेक प्रकाश)
जिला मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ

संख्या–572/एसटी–टीजी/कोविड–19/2020 दिनांकः जुलाई 19,2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3. पुलिस आयुक्त(नगर) लखनऊ।
4. मण्डलीय रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे/पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, लखनऊ।
8. पुलिस उपायुक्त, उत्तरी/पूर्वी, लखनऊ।
9. समस्त अपर जिलाधिकारी, लखनऊ।
10. निदेशक, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, अमौसी, लखनऊ।
11. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रोडवेज, लखनऊ।
12. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, लखनऊ।
13. नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी, लखनऊ।
14. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।

Scanned with CamScanner